



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222408
CG-DL-E-13102020-222408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3156]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 13, 2020/आश्विन 21, 1942

No. 3156]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2020/ASVINA 21, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3568(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा साइबर न्याय विज्ञान प्रयोगशाला, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट -इन), इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[सं. 2(4)/2020-सीएस]

डॉ राजेंद्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

S.O. 3568(E).—In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act, 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies Cyber Forensic Laboratory, Indian Computer Emergency

Response Team (CERT-In), Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:-

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[No. 2(4)/2020-CS]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.